एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1302/2007
जगदीश व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

17.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री वी.एस.बधवार, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।
श्री बी.एस.छाबा, उप राजकीय अधिवक्ता।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण ने उन्हें नियमित पैरोल पर छोड़े जाने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्तागण को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15, 8/18, 8/20 के अन्तर्गत 10 साल के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया था।

अयाचीगण की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस की है कि जब तक दी गयी सजा का एक चौथाई भाग बन्दी नहीं काट ले तब तक उसे नियमित पेरोल के योग्य नहीं माना जा सकता। उनका कथन है कि यघपि 10 साल की सजा का एक चौथाई भाग याचिकाकर्तागण भुगत चुके हैं, किन्तु अर्थदण्ड की राशि जमा न कराये जाने के ऐवज में उन्हें तीनों अपराधों के लिये एक एक वर्ष की अवधि के लिये सजा और भुगतनी होगी और इस प्रकार कुल 13 वर्ष की एक चौथाई अवधि जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी नियमित पेरोल के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि याचीगण के पेरोल के आवेदनपत्र पर उनके द्वारा 13 वर्ष की एक चौथाई अवधि की सजा भुगतने पर विचार किया जा सकेगा।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता के उपरोक्त कथन के आधार पर यह याचिका इसी प्रकार निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति